

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 2010/11-सी- FP/UP/Road/143597/2021, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 09, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ, द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन०एच०-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder from Existing chainage 120+900 to 138+635 (Design chainage 120+900 to 137+760) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव FP/UP/Road/143597/2021

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/257/2022/एफ०सी०/759, दिनांक-13.12.2022
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-1874/14-1 दिनांक 26.01.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 2010/11-सी- FP/UP/Road/143597/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर।
- 3-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, मेरठ।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 2010/11-सी- FP/UP/Road/143597/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 1874 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 26-01-2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन०एच०-119) form 2 lane to 2 lane paved shoulder (from chainage 120.900 to 137.760) under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/package-2) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP/Road /143597/2021

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या-8B/UP/06/257/2022 /FC/759 दिनांक 13.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर ने अपने पत्र संख्या-3205/14-1 दिनांक 24.01.2024 द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 1874 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- 1-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर को उनके पत्र दिनांक 24.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, नजीबाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।